



## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

UDHONLINE.RAJASTHAN.GOV.IN

फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: [urban.rajasthan.gov.in/uitkota](http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota)


एफ 11/नीलामी/2019/1131

दिनांक: 17/10/2019

### ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

नगर विकास न्यास द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से न्यास की योजना (रोड़वेज वर्कशॉप कुन्हाड़ी) में ग्रुप हाउसिंग हेतु आवासीय भूखण्ड संख्या आर-1 को नीलाम किया जा रहा है। यह भूखण्ड एनएच-12 व एनएच 27 के समीप स्थित है। यह भूखण्ड आबादी के मध्य स्थित है। यह भूखण्ड विकासशील क्षेत्र के मध्य स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 30-10-2019 प्रातः 11.00 बजे से हो रहा है एवं यह दिनांक 01-11-2019 को दोपहर 3:00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) अन्य जानकारी [urban.rajasthan.gov.in/uitkota](http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota) पर प्राप्त की जा सकती है अथवा दूरभाष 0744-2500539 पर सम्पर्क करें।

ई-ऑक्शन के माध्यम से न्यास की योजना (रोड़वेज वर्कशॉप कुन्हाड़ी) में ग्रुप हाउसिंग आवासीय भूखण्ड संख्या आर-1 का क्षेत्रफल (6085.32 वर्गमीटर) प्रारम्भिक नीलामी दर 10800/- प्रति वर्गमीटर आरक्षित दर:-5370/-प्रति वर्गमीटर



सचिव

1. नीलामी विवरण:-

क.सं.	विवरण	नीलामी कार्यकम
1	भूखण्ड संख्या:- आर-1 योजना का नाम:- न्यास की योजना (रोड़वेज वर्कशॉप कुन्हाड़ी) मे ग्रुप हाउसिंग आवासीय भूखण्ड	6085.32 वर्गमीटर
2	नीलामी मे भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क	500/- रुपये
3	घरोहर राशि	1314500/- रुपये
4	नीलामी प्रारम्भिक दिनांक एवं समय	30.10.2019 प्रातः 11:00 बजे
5	नीलामी समाप्ति दिनांक एवं समय	01.11.2019 दोपहर 3:00 बजे (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नही होने की स्थिति में)
6	प्रारंभिक नीलामी दर	10800/- प्रति वर्गमीटर
7	न्यूनतम बोली वृद्धि दर	50/- प्रति वर्गमीटर (बोलीदाता लगातार एक से अधिक बोली रु. 50/- के गुणक में बढ़ा सकता है)
8	आरक्षित दर	5370/- प्रति वर्गमीटर

2. साईट प्लान : आर-1

3. भूखण्ड का तकनीकी मापदण्ड :- आर-1

सेट बैक

- फ्रन्ट :- भूखण्ड आर-1
- बेक :- 15.00 मीटर
- साईड-1 :- 9.00 मीटर
- साईड-2 :- 9.00 मीटर
- अधिकतक ऊँचाई एवं बी.ए.आर :- एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार
- आच्छादित क्षेत्र :- 40 प्रतिशत
- अन्य मापदण्ड :- 1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों की पालना की जानी होगी  
2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार योजना प्रस्तावित किये जाने पर उक्त योजना के प्रावधान लागू होंगे।

4. भूखण्ड की विशेषताएँ:

- (अ) एन.एच-12 व एनएच-27 के समीप स्थित है।
- (ब) आबादी के मध्य स्थित है।
- (स) यातायात के सुगम साधन उपलब्ध है।
- (द) कुन्हाड़ी चौराहे से लगभग 0.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
- (फ) न्यास की अन्य आवासीय व व्यवसायिक योजना व अन्य कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के समीप

नोट:- श्री संजीव शर्मा कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है की न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करें।

Udholnline.rajasthan.gov.in  
Helpline for online support - 01412560211

सचिव